



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

**Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.**

(A Government of India Enterprises)

5<sup>th</sup> Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

[www.dfccil.gov.in](http://www.dfccil.gov.in)

No.2017/HQ/Admin/RTI-**73**

New Delhi: 08.06.2017

**Sh. Chandra Mohan Singhal,**  
C/o Milan Associates, Dabaria,  
Faridnagar Road, City-Pilkhua,  
District-Hapur-245307, U.P  
Mobile # 9456-039-779

To be emailed : [cmspilkhua@gmail.com](mailto:cmspilkhua@gmail.com)

Dear Applicant,

Sub: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना सुलभ कराना।

Providing information under the RTI Act 2005

Ref: Original application dt. 05.03.2017 received through  
Railway Board on 28.03.2017 from Shri Chandra Mohan  
Singhal R/O Hapur, U.P

The Information received from the concerned office is as under:

**प्राप्त उत्तर/received reply:**

S.No.	Information required	DFCCIL serialized answer
1	Item (i)	जनपद हापुड की तहसील हापुड अन्तर्गत अवस्थित ग्राम अमीरपुर नंगौला के खसरा सं० 292 के भूमि अधिग्रहण हेतु रेल संशोधन अधिनियम, 2008 व भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के अनुसरण में प्रतिकर के अवधारण और दूसरी अनुसूची के अनुसरण में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा तीसरी अनुसूची के अनुसरण में अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओ से संबंधित उपबन्ध प्रभावी है।
2	Item (ii)	इस प्रस्तर में चाही गयी सूचना सम्बन्धित अधिनियम में उपलब्ध है।
3	Item (iiI)	रेल संशोधन अधिनियम, 2008 के तहत 20ए की उपधारा (4) के अनुसार अधिसूचना सं० का०आ०३२१२(अ) दिनांक 18.12.2014 का प्रकान, 20ई की अधिसूचना सं० का०आ० 2505(अ) दिनांक 11.09.2015 का प्रकाशन जनसूचनार्थ दो स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक जागरण व अमर उजाला के अंको में क्रमशः 30.01.2015 तथा 28.10.2015 को कराया गया। 20(च) की उपधारा (4)(5) के अनुसार अभिनिर्णय से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रसारित समाचार पत्रों दैनिक जागरण व अमर उजाला दिनांक 15.02.2016 के अंको में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर हितबद्ध व्यक्तियों से दावे आमंत्रित किये गये। इस प्रस्तर के अंतिम भाग मॉंगा गया दस्तावेज सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (8) के अनुसार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।
4	Item (iv)	सक्षम प्रधिकारी के मांग पत्र के उपरान्त निर्धारित वित्तीय संस्थान के संयुक्त खाते में भू अधिग्रहण की अभिनिर्णित धनराशि अर्जन निकाय द्वारा हस्तांतरित/जमा कराया जाता है। उक्त राशि पर सम्बन्धित वित्तीय संस्थान द्वारा नियमानुसार ब्याज प्रदान किया जाता है।

5	Item (V) (VI) (VII)	इस प्रकार की सभी सूचनाएं समय-समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी है।
6	Item (VIII)	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ग्राम अमीपुर नंगौला, जिला हापुड उ0प्र0 के 206 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अभिनिर्णय के अनुसार रू0 21,74,94,776/- मात्र का भुगतान किया जाना है। शेष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (8) के अनुसार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।

अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पता है: श्री सतीश कोठारी, ग्रुप महाप्रबंधक/प्रशासन, डी एफ सी सी आई एल, नई दिल्ली-110001.



(तेजपाल चावला)

(Tejpal Chawla)

उप महाप्रबंधक/प्रशासन/आर टी आई

DGM/Admin/RTI

CC to CPM Meerut



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

**Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.**

**(A Government of India Enterprises)**

5<sup>th</sup> Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOJ155068 Web:

www.dfccil.com